

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/आपू/ /2955/2017


भोपाल, दिनांक 22/12/2017

ऑनलाईन संशोधन प्रक्रिया संबंधी निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा अंकसूची/प्रमाण पत्रों में संशोधन की नवीन विकेंद्रित प्रक्रिया को म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1776/2136/2017/20-3 दिनांक 30.10.2017 के अनुक्रम में प्रक्रियात्मक निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं :-

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदन केवल एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आफलाईन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाईन आवेदन के साथ आवेदक मण्डल निर्देशों के अनुरूप समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा। आवेदक द्वारा जिस जिले से ऑनलाईन आवेदन भरा जाएगा उसी जिले की समन्वयक संस्था द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
2. ऑनलाईन आवेदन के पश्चात 15 कार्यदिवस की अवधि में आवेदक संशोधन हेतु आवश्यक मूल दस्तावेज संबंधित जिले की समन्वयक संस्था पर प्रस्तुत करेगा। समन्वयक संस्था प्राचार्य द्वारा नामांकित कर्मचारी द्वारा मूल दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। मण्डल निर्देशों के तहत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्राचार्य प्रतिनिधि द्वारा आवेदक को सूचित किया जाएगा। साथ ही प्राचार्य प्रतिनिधि अपने Login में संबंधित आवेदन के सम्मुख अप्राप्त दस्तावेजों की प्रविष्टि भी करेगा। अप्राप्त दस्तावेजों की प्रविष्टि के आधार पर एक Auto generated SMS आवेदक को प्रेषित किया जाएगा तथा त्रुटिपूर्ती हेतु अधिकतम 30 कार्यदिवस की समयावधि आवेदक को प्रदान की जाएगी। निर्धारित 30 कार्यदिवस की अवधि में आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर प्राचार्य प्रतिनिधि द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाएगा एवं तत्संबंधी प्रविष्टि अपने Login में की जाएगी। 30 कार्यदिवस में त्रुटिपूर्ती न होने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आवेदन स्वीकार होने की तिथि से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि की गणना प्रारंभ होगी।
3. अगले चरण में समस्त स्वीकृत (पूर्ण) आवेदन प्राचार्य, समन्वय संस्था के Login में प्रदर्शित होंगे। प्राचार्य द्वारा मण्डल निर्देशों एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों एवं गुण-दोष के आधार के आधार पर प्रकरण में निर्णय लिया जाएगा तथा पोर्टल पर सकारण दर्ज किया जाएगा। प्राचार्य समन्वयक संस्था हेतु प्रकरणों के निराकरण की अधिकतम समय सीमा 10 कार्यदिवस होगी। अमान्य प्रकरणों के मूल दस्तावेज समन्वय संस्था द्वारा सीधे आवेदक के पते पर प्रेषित किए जाएंगे।
- 3.1 प्राचार्य, समन्वय संस्था के अवकाश/निलंबन/स्थानान्तरण की दशा में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।

4. प्राचार्य समन्वयक संस्था द्वारा स्वीकृत समस्त आवेदन मण्डल मुख्यालय के अभिलेख कक्ष के Login में प्रदर्शित होंगे। मण्डल मुख्यालय द्वारा प्राप्त प्रकरणों के दस्तावेजों का मुद्रण किया जाएगा तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन में दर्ज पते पर प्रेषित किया जाएगा। पोर्टल में प्रविष्ट स्पीड पोस्ट नंबर के आधार पर SMS alert आवेदक एवं प्राचार्य समन्वय संस्था को प्रेषित किया जाएगा।
5. प्राचार्य समन्वय संस्था द्वारा प्राप्त मूल दस्तावेजों की नस्तियां छात्र के रोल नंबर एवं ऑनलाईन आवेदन क्रमांक दर्ज करते हुए तैयार की जाएगी।
6. प्राचार्य, समन्वय संस्था द्वारा प्रत्येक माह की 10, 20 एवं 30 तारीख को पूर्व अवधि में निराकृत प्रकरणों से संबंधित नस्तियां विशेष वाहक के हस्ते मण्डल के संबंधित संभागीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। संभागीय अधिकारी अकरसूची/प्रमाणपत्र (जो लागू हों) मुख्यालय को प्रेषित करेंगे तथा प्रकरणों से संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत शेष दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन क्र. एवं अनुक्रमांक के आधार पर संधारित करेंगे। नस्तियों के संधारण की अवधि मण्डल द्वारा निर्धारित अन्य नस्तियों के संधारण अवधि के समान होगी।
 - 6.1 संभागीय अधिकारी अगले कार्यदिवस पर समस्त नस्तियां मण्डल मुख्यालय के अभिलेख कक्ष को विशेष वाहक के हस्ते प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. मण्डल मुख्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा अनुमोदित प्रकरणों का पुनः परीक्षण नहीं किया जाएगा केवल दस्तावेज मुद्रित कर, आवेदक को प्रेषित किए जाएंगे। मण्डल मुख्यालय द्वारा अधिकतम 10 दिवस की अवधि में दस्तावेज मुद्रित करके प्रेषित किए जाएंगे।
8. संशोधन प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण मण्डल निर्देशों के अनुरूप हो यह दायित्व प्राचार्य समन्वय संस्था का होगा।
9. मण्डल के संभागीय अधिकारी संभाग से संबंधित संस्थाओं में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में हो, इस हेतु आवश्यक समन्वय एवं पर्यवेक्षण (supervision) करेंगे।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

भोपाल

भोपाल, दिनांक 22/12/2017

पृष्ठांकन क्रमांक/ 18/पन्ना / 2956 / 2017
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. गौतम नगर, भोपाल।
3. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.।
5. समस्त प्राचार्य, समन्वयक संस्था, म.प्र.।
6. पंजीयक (परीक्षा/समन्वय/अभिलेख)।
7. सहायक सचिव/संभागीय अधिकारी (समस्त) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
8. समस्त कक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल, दि० 30/10/2017
क्रमांक-1776/2136/2017/20-3:: राज्य शासन एतद् द्वारा म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को प्राप्त होने वाले अंकसूची संशोधन प्रकरणों की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू की जा रही है। नवीन व्यवस्था में संशोधन प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित जिले की समन्वयक संस्था (माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल द्वारा नामांकित संस्था) के प्राचार्य, को अधिकृत किया जाता है। संशोधन प्रकरणों के निराकरण की नवीन व्यवस्था के विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश एवं समय-सीमा संबंधी निर्देश मण्डल द्वारा पृथक से प्रेषित किए जायेंगे।
2/ अतः निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन प्रकरणों के निराकरण हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों/निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

प्रमोद सिंह
उप सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


भोपाल, दि० 30/10/2017

1777
प०क्रमांक- 1777/2136/2017/20-3
प्रतिलिपि:-


- (1) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म०प्र० भोपाल।
- (2) अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (3) विशेष सहायक, मान० मंत्री/राज्यमंत्री, म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
- (4) समस्त संभागीय आयुक्त, म०प्र०
- (5) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
- (6) आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- (7) समस्त कलेक्टरर्स, मध्यप्रदेश।
- (8) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म०प्र०।
- (9) समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०।
- (10) समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म०प्र०।
- (11) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म०प्र०।

निरन्तर...2

11211
(12) समस्त प्राचार्य "समन्वयक संस्थाएं" म०प्र०।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित।


उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



// आदेश प्रारूप //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को प्राप्त होने वाले अंकसूची संशोधन प्रकरणों की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू की जा रही है। नवीन व्यवस्था में संशोधन प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित जिले की समन्वयक संस्था (माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा नामांकित संस्था) के प्राचार्य, को अधिकृत किया जाता है। संशोधन प्रकरणों के निराकरण की नवीन व्यवस्था के विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश एवं समय सीमा संबंधी निर्देश मण्डल द्वारा पृथक से प्रेषित किए जायेंगे।

अतः निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन प्रकरणों के निराकरण हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों/निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव- अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव मध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. आयुक्त आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
8. आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश।
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश।
12. सहायक आयुक्त, समस्त आदिम जाति कल्याण, विभाग, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. समस्त प्राचार्य, समन्वयक संस्थायें म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल
फैक्स नम्बर 0755-2554398 व 0755-2552061 ई-मेल mpbse@mp.nic.in

प्रेस-विज्ञापित

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1776/2126/2017/20-3/दि. 30.10.2017 के अनुक्रम में मण्डल द्वारा अंकसूची/प्रमाण पत्रों में ऑनलाईन संशोधन हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक स्थापना/2955/2017/भोपाल दिनांक 22.12.2017 द्वारा ऑनलाईन संशोधन प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किये गये है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदन केवल जिला मुख्यालय के एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के साथ आवेदक मण्डल निर्देशों के अनुरूप समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज 15 कार्यदिवस की अवधि में संबंधित जिले की समन्वयक संस्था पर प्रस्तुत करेगा तथा समन्वयक संस्था द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। ऑफलाईन आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। मूल दस्तावेज प्राप्त होने पर ही आवेदन ऑनलाईन स्वीकृत मान्य होगा। स्वीकृत आवेदनों का निराकरण प्राचार्य द्वारा ऑनलाईन किया जाएगा। स्वीकृत आवेदन मंडल मुख्यालय में ऑनलाईन प्राप्त होंगे। मंडल मुख्यालय द्वारा दस्तावेज मुद्रित करके आवेदक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे।

इस नवीन व्यवस्था से छात्रों को संशोधन हेतु अपने जिले में ही सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही, विकेंद्रीकरण के कारण प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी होगा। छात्र अपने आवेदन की ऑनलाईन ट्रेकिंग भी कर सकेंगे।

व्यवस्था का पायलट रन दिनांक 26/12/2017 से संभागीय जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ किया जा रहा है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश,
भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

फैक्स नम्बर 0755-2554398 व 0755-2552061 ई-मेल mpbse@mp.nic.in

क्रमांक / 661 / अभिलेख / संशोधन / 2017

भोपाल, दिनांक 7/12/2017

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग (म0प्र0)

विषय:—अंक सूची एवं प्रमाण पत्रों में संशोधन संबंधी प्रक्रिया।

—00—

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1776/2126/2017/20-3/दि. 30.10.2017 के अनुक्रम में मण्डल द्वारा अंकसूची/प्रमाण पत्रों में ऑनलाईन संशोधन हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक स्थापना/2955/2017/भोपाल दिनांक 22.12.2017 द्वारा ऑनलाईन संशोधन प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। मण्डल द्वारा जारी किये गये निर्देशों की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त व्यवस्था का पायलट रन संभागीय मुख्यालयों में समन्वय संस्था के माध्यम से दिनांक 26.12.2017 से प्रारंभ किया जा रहा है। कृपया अपने संभाग में इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / 662 / अभिलेख / संशोधन / 2017

भोपाल, दिनांक 23/12/2017

- (1) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
- (2) प्राचार्य समन्वयक संस्था (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (3) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं की ओर छात्रों को सूचना प्रदान करने हेतु।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश,
भोपाल